सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 02.11.2026

TAKING A BITE OUT OF CRIME 24/7

- **चोरी की घटना का सफल अनावरण।**
- **मंदिर से महिलाओं के सोने के आभूषण चोरी करने वाली 03 शातिर महिला चोरों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी के आभूषणों की बिक्री से प्राप्त धनराशि कुल 14,790/- रुपये तथा फोम के खिलौने/गुड्डे बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्रीमती बबीता सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर सुश्री आयूषी सिंह के नेतृत्व थाना पछायगांव पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.10.2026 को वादिनी श्रीमती निशी पाल पत्नी अंकित पाल निवासी गली नं0 05, गांधीनगर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा द्वारा थाना पछायगांव पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 16.10.2026 को वादिनी अपनी सास के साथ थाना पछायगाँव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नायकपुरा स्थित संकटा माता मंदिर पूजा करने आयी थी। इसी दौरान मंदिर परिसर से वादिनी व उसकी सास का मंगलसूत्र अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये।

तहरीर के आधार पर थाना पछायगाँव पर **मु0अ0सं0 35/2026 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 02.11.2026 को थाना पछायगाँव पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि संकटा देवी मन्दिर के पास तीन महिलायें चोरी किये गये आभूषण की बिक्री से प्राप्त रुपयों बंटवारा करने की बात कर रही है जो कही जाने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संकटा माता मंदिर परिसर, नायकपुरा से 03 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार महिला अभियुक्ताओं से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि वे मंदिरों, मेलों एवं बाजारों में कपड़े तथा फोम से बने खिलौने बेचने के बहाने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं की रेकी करती थीं तथा मौका पाकर उनके पहने हुए आभूषण एवं रुपये चोरी कर लेती थीं।

अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.10.2026 को संकटा माता मंदिर में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर दो महिलाओं के गले से सोने के दो मंगलसूत्र चोरी किये गये थे। चोरी किये गये आभूषणों को आगरा में अपने ग्रुप की दो अन्य महिलाओं को बेचने के लिए दे दिया तथा प्राप्त धनराशि को सभी महिलाओं द्वारा आपस में बांट लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी किये गये मंगलसूत्रों की बिक्री से प्राप्त शेष कुल ₹14,790/- बरामद किये गये।

उक्त गिरफ्तार/बरामदगी के संबंध मे थाना पछायगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2026 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता:-

1. 03 अभियुक्ता

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 35/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना पछायगाँव, जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. कुल ₹14,790/- नकद (चोरी किये गये सोने के मंगलसूत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का शेष भाग)।
2. फोम के खिलौने/गुड्डे

अभियुक्ता सीमा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 35/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना पछायगाँव, जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 134/2018 धारा 380/411/457 आईपीसी, थाना जगदीशपुरा, आगरा।
3. मु0अ0सं0 364/2018 धारा 380/411/457 आईपीसी, थाना जगदीशपुरा, आगरा।
4. मु0अ0सं0 496/2018 धारा 380/411/457 आईपीसी, थाना जगदीशपुरा, आगरा।
5. मु0अ0सं0 961/2018 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम, थाना जगदीशपुरा, आगरा।

पुलिस टीम:- प्रभारी निरीक्षक थाना पछायगांव सुश्री निर्मला सिंह, उ0नि0 श्री किशनपाल सिंह, का0 पुष्पेन्द्र, म0का0 आँचल, म0का0 सन्जू।